


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम लीलाधर वगै०

किस्म मुकदमा धारा दावा 212

मुकदमा न० 257 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। मूल वाद में निर्णय हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित जाता है की वो मूल दावा में किए गये निर्णय के अनुसार जमाबन्दी में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखील दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	